



2026:AHC:15844

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 1881 सन् 2026

वीर बहादुर पटेल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : गौरव चौहान, मृदुल शेखर त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के तहत वाद संख्या 27/29/299 वर्ष 2011 और 12368/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202402030212368) (वीर बहादुर पटेल बनाम महावीर) का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर किया गया एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर यह उचित और उपयुक्त होगा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) पर ध्यान देना, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी कानून के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका निपटारा करने के लिए बाध्य होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7),

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर बिना विवाद वाले उत्परिवर्तन मामले का और 90 दिनों की अवधि के भीतर विवादित उत्परिवर्तन मामले का निर्णय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि बीत चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले का निर्णय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलैन